कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्र. 685 /निगम सचिव/न.पा.नि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.12.2020

प्रति,

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 28.10.2020 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 28.10.2020 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 685 /निगम सचिव/न.पा.नि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.12.2020

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
6. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।
7. संबंधित प्रभारी अधिकारी .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

साधारण सम्मिलन बैठक दिनांक 28.10.2020, समय दोपहर 2:00 बजे

सर्व प्रथम सभापति जी द्वारा साधारण सम्मेलन में उपस्थित सभी पार्षदों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निगम सचिव को सभापति द्वारा निर्देश दिया गया कि चूँकि साधारण सम्मेलन का प्रथम बैठक है अतः प्रश्नावली के संबंध में जानकारी दें।

सभापति जी के अनुमति पश्चात् निगम सचिव द्वारा परिषद सदन में जानकारी दी गई कि प्रश्नावली एक घंटे का होगा एक घंटे से अधिक अवधि बढ़ाई नहीं जावेगी। इस बैठक में 17 पार्षदों द्वारा प्रश्न पूछा गया जिसमें 15 पार्षदों द्वारा 2, 2 प्रश्न एवं 2 पार्षदों द्वारा एक, एक प्रश्न कुल 32 पूछा गया, जिसका की जानकारी संबंधित प्रश्नकर्ता को जानकारी भेजी जा चुका है।

02:30 बजे दोपहर से एक घंटा 03:30 तक के लिए निर्धारित की गई तथा लाटरी के माध्यम से 12 प्रश्नों का जवाब का MIC सदस्यों द्वारा दिया गया। 03:30 बजे के पश्चात् एजेण्डा पर चर्चा की गई जो निम्नानुसार है :–

प्र.क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
1	2	3
1	अमृत मिशन योजनांतर्गत वार्डो छुटे मोहल्लों एवं कालोनियों में पाईप लाईन विस्तार के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण पर चर्चा हुई प्रतिवेदन अनुसार शेष बचे हुए कालोनी एवं गली मोहल्लों में पाईप लाईन पुरनीक्षित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जावें।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान मोर चिन्हारी अंतर्गत योजना में ए.एच.पी. अंतर्गत हितग्राही को आबंटन के प्रक्रिया पर विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से आवास योजना का पुनः सर्वेक्षण कर आवास पंजीयन राशि जमा किये गये हितग्राहियों को छोड़कर सर्वे सूची में शेष आवास आबंटन हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया जाता है :– 1. श्री रत्थू जायसवाल पार्षद प्रभारी एम.आई.सी. 2. श्री आरीफ हुसैन – पार्षद वार्ड नं. 07 3. श्री सुभाष पांडेय – पार्षद वार्ड नं. 16 4. श्री अखिलेश शर्मा – सहायक अभियंता 5. श्री ऋषि राठौर – उप अभियंता उक्त समिति सर्वेक्षण कर पालन प्रतिवेदन आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सौंपे।
3	नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत एल.ई.डी. लाईट का ठेका 07 वर्षो के लिए ई.ई.एस.एल. कंपनी को दिया गया है के संधारण एवं मरम्मत कार्य के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। शहर के 48 वार्डो में स्ट्रीट लाईट संधारण के संबंध में चर्चा हुई, वर्तमान में एल.ई.डी. लाईट ठेका ई.एस.एस.एल. कम्पनी को 07 वर्षों के लिए ठेका प्राप्त है। उक्त संधारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई एवं अनेक शिकायतें प्राप्त हुई जिसका निराकरण ई.एस.एस.एल. कम्पनी द्वारा नहीं किया गया जिस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में पार्षदों द्वारा विद्युत संधारण को व्यवस्थित व समय सीमा में कराये जाने हेतु ई.एस.एस.एल. कम्पनी ठेका को नियमानुसार निरस्त करने की सर्व सम्मति से अनुशंसा की जाती है। इसी कड़ी में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा 48 वार्डो के लिए प्रस्तावित प्राक्कलन राशि रू. 03.00 करोड़ की मांग शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया॥
4	यादव समाज का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्ष 2019–20 हेतु दिनांक 16.02.2020 को मड़ई महोत्सव का आयोजन हो रहा है, अनुदान राशि रू. 40,000.00 प्रदान करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरान्त यादव समाज को राशि रू. 25000/– मड़ई महोत्सव हेतु अनुदान राशि स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निगम सचिव
न.पा. निगम
रायगढ़

C:\Users\us\Downloads\A(MIC-LETTER-28.10.2020-LIST) (1).doc

Scanned with CamScanner

5	सार्वजनिक रामलीला समिति बैकुंठपुर एवं स्टेशन चौक युवा समिति का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे उनको पूर्व वर्ष की भांति अनुदान दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। सार्वजनिक रामलीला समिति को 15000/-, स्टेशन चौक युवा समिति को 15000/-, अन्य पजोयन समिति को आवेदन प्रति प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा। तथा चक्रधर नगर समिति को भी राशि रू. 15000/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

C:\Users\...\Downloads\(MIC-LETTER-28.10.2020-LIST) (1).doc

Scanned with CamScanner